राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31/05/2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून 2022, तिमाही की बैठक दिनांक **31/05/2022** को माननीय अध्यक्ष,गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग श्री चन्द्र कुमार लाल दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उप निदेशक (मा.स.प्र.) श्री प्रदीप कुमार के स्वागत संबोधन के उपरांत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्रवाई आरंभ की गई।

समिति की बैठक के आरंभ में सहायक निदेशक/राजभाषा ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बुकर पुरस्कार प्राप्त कर हिंदी का परचम विश्व फलक पर लहराने वाली हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री के बारे में सभी सदस्यों को अवगत कराया। इसके उपरांत गृह राज्य मंत्री द्वारा राजभाषा सम्मान प्राप्त करने वाले आयोग कार्यालय के दो अधिकारी श्री अजित कुमार,सहायक निदेशक-II एवं रौशन कुमार, सहायक निदेशक-II को अध्यक्ष महोदय ने भी अपने कर कमलों से सम्मानित किया।

अध्यक्ष का संबोधनः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष सह सदस्य (समन्वय),गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग श्री चन्द्र कुमार लाल दास ने राजभाषा हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा आयोग कार्यालय के दो कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी की गरिमा को बनाए रखने और इसे विश्व व्यापी बनाने में हम सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। संगठन में प्रत्येक कार्मिक की एक विशेष भूमिका होनी चाहिए। सभी को मिलकर शिद्दत के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हिन्दी का कार्यान्वयन हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है इसका निर्वहन करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होने आयोग के कार्मिकों कों हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं आशा व्यक्त की कि ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आयोग कार्यालय के कार्मिकों को मिलता रहेगा। उन्होंने जीएफ़सीसी की नवीनतम द्विभाषी वेबसाइट के निर्माण में सहयोग के लिए सभी संबन्धित अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने वेबसाइट को निरंतर अध्यतन करते रहने के लिए सभी कार्मिकों को वेबसाइट देखने का सुझाव दिया। साथ ही पुस्तकालय की देख-रेख के लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी को प्रभार देने के लिए तथा आयोग से संबन्धित आवश्यक कागजातों तथा मानचित्रों का डिजिटल प्रारूप तैयार करने के लिए भी यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कार्यसूची पर विचारः-

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय,राजभाषा विभाग द्वारा जारी मानक कार्यसूची के अनुरूप चर्चा की गई एवं मार्च ,2022 की तिमाही में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा से संबंधित ब्यौरा एवं लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं-

1. **धारा3(3) का अनुपालनः** मार्च ,2022 तिमाही में कुल **193** कार्यालय आदेश जारी हुए थे जिसमें सभी **193** कार्यालय आदेश द्विभाषी में जारी किए गए थे। अध्यक्ष महोदय ने धारा **3(3)** के सभी दस्तावेज को द्विभाषी में जारी करने के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा एवं सभी संबंधित अधिकारी)

2. **हिंदी में मूल पत्राचारः** मार्च ,2022 तिमाही के दौरान मूल पत्राचार की संख्या **257** है और जिसमें से **231** पत्रों के जवाब हिंदी में जारी किए गए हैं, शेष **26** पत्रों के जवाब अंग्रेजी में दिए गए। हिन्दी मे जारी किए गए मूल पत्रों का प्रतिशत 89.88% है जो निर्धारित लक्ष्य 100% से कम है। अध्यक्ष महोदय ने मूल पत्राचार हिन्दी मे ही करने के निर्देश देते हुए कहा कि मूल पत्राचार का प्रतिशत बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ***(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)***

3. **हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तरः**

मार्च, 2022 तिमाही में हिंदी में प्राप्त कुल **542** में से **180** पत्रों के जवाब हिंदी में दिए गए हैं। शेष **362** पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे। हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर देने का कार्य लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत है।

4. **हिंदी में टिप्पणीः**

मार्च, 2022 तिमाही के दौरान कुल **575** टिप्पणी पृष्ठों में से **481** टिप्पणी पृष्ठ हिंदी में लिखी गई। हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत **83.65%** है जो कि निर्धारित लक्ष्य **75** प्रतिशत से अधिक है। तथापि अध्यक्ष महोदय ने इसे निरंतर बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि इसे शत-प्रतिशत तक किया जा सके। **(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)**

5. **वेबसाइट का द्विभाषीकरणः** वेबसाइट के द्विभाषिकरण के संबंध में चर्चा के दौरान उपनिदेशक(मा.स.प्र.)श्री प्रदीप कुमार ने समिति को बताया कि **31** मई **2022** से आयोग का वेबसाइट द्विभाषी एवं नए स्वरूप (www.gfcc.gov.in) में प्रारंभ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने सभी निदेशालयों/अनुभागों के अधिकारियों से कहा कि वैबसाइट से संबन्धित सभी जानकारियों को विशेष प्राथमिकता के आधार पर अद्यतन करें एवं अपने कार्यालय द्वारा किए गए कार्य के संबंध में पाक्षिक रूप से अवगत कराते रहें। ***(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)***

6. **राजभाषा निरीक्षणः** सहायक निदेशक/राजभाषा **ने** सभी अधिकारियों से निवेदन किया कि अपने अधिनस्थ निदेशालय या अनुभाग में कार्य की स्थिति की जानकारी लेते समय राजभाषा के प्रयोग-प्रसार की स्थिति का भी निरीक्षण अवश्य करें ताकि आवश्यक सुधार हेतु पहल की जा सके। ***(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)***

7. **कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा** - सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।

8. **पुस्तकालय-** सभी कार्मिकों से पुस्तकों की खरीद हेतु सुझाव मांगे गए ताकि पुस्तकालय को और भी अधिक बेहतर तथा जनउपयोगी बनाया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने गीतांजलि श्री की पुस्तक **रेत समाधि** को पुस्तकालय में शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने आयोग कार्यालय के पुस्तकालय की देख-रेख के लिए यथाशीघ्र किसी कर्मचारी/अधिकारी को प्रभार देने के लिए भी कहा ताकि पुस्तकालय को सुचारु रूप से चलाया जा सके। पुस्तकालय हेतु फर्नीचर की खरीद के संबंध में कार्यालय प्रधान ने कहा कि नए कार्यालय में नवीनतम फर्नीचर की खरीद की जाएगी।

9. **कोड/मैनुअल आदि का द्विभाषीकरण** :- सहायक निदेशक/राजभाषा ने कहा कि एमपी-। निदेशालय से उपलब्ध कराए गए कोड /मैनुवल की प्रति को द्विभाषी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया

कि यदि और भी कोई कोड/मैनुवल आदि सिर्फ अंग्रेजी मे हो तो कृपया उसे अनुवाद हेतु राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध करवा दें ताकि उसे यथाशीघ्र द्विभाषी किया जा सके।

(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)

<u>सदस्यों के विचारः</u>

1. **निदेशक एमपी-II- निदेशक श्री संजीव कुमार ने धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजातों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों मे एक साथ जारी करने पर बल दिया।**
2. **निदेशक (समन्वय) - निदेशक श्री अमिताभ प्रभाकर ने धारा(3) में पिछली तिमाही की तुलना में हुई सुधार पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सदैव इस स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता है।**
3. **उप निदेशक/मा.सं.प्र.- उप निदेशक श्री प्रदीप कुमार ने ईऑफिस में द्विभाषी विकल्प नहीं होने की बात बताते हुए धारा 3(3) के संबंध में जानकारी उपलबध करने संबंधी मूल समस्या को उजागर किया। पुस्तकालय जीर्णोद्धार करने के बारे में कार्यालय प्रधान ने कहा कि आयोग पुस्तकालय में मौजूद आयोग कार्यालय से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी कागजातों तथा मानचित्रों के संरक्षण और इनके डिजिटल प्रारूप में रखने की आवश्यकता है।**

(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा एवं सभी संबंधित अधिकारी)

कार्यसूची पर विचार के उपरांत बैठक के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण गीत एवं सामूहिक जल संरक्षण संकल्प के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

अध्यक्ष एवं सदस्य(समनवय),निदेशक(एम.पी.-II,निदेशक(समन्वय),उप निदेशक/मा.सं.प्र., उप निदेशक/एम.पी.-I, उप निदेशक/समन्वय, उपनिदेशक/एम.पी.II,सहायक निदेशक/एम.पी.II, सहायक निदेशक/राजभाषा,प्रशासनिक अधिकारी, सहायक निदेशक-II/एम.पी.-I(अनु.), सहायक निदेशक-II/एम.पी.-I,निजी सचिव/सदस्य(समन्वय),कनिष्ठ अभियंता,प्रधान लिपिक/सामान्य एवं कनिष्ठ अनुवादक।